श्रीती इन्दूरानी अग्रवाल बनाम एन.एच.ए.आई.

दिनांक 29–7–2022

पत्रावली प्रस्तुत । पुकार पर आवेदकगण/प्रार्थीगण अनुपस्थित । विपक्षी उपस्थित ।पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदकगण/प्रार्थीगण विगत कई तिथियों से उपस्थित नहीं आ रहे हैं जब कि विपक्षी उपस्थित है । पत्रावली वास्ते सुनवाई लंचबाद पेश हो ।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–9 मुरादाबाद ।
29–7–2022

दिनांकः 29–7–2022

पत्रावली लंचबाद पुनः पेश हुई । पुकार करायी गयी । पुकार पर आवेदकगण/प्रार्थीगण अनुपस्थित । विपक्षी उपस्थित ।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि आवेदकगण/प्रार्थीगण विगत कई तिथियों से उपस्थित नहीं आ रहे हैं और न ही उनकी ओर से कोई प्रार्थना–पत्र ही प्रस्तुत किया गया है। विगत तिथि पर सुनवाई हेतु न्याय हित में अन्तिम अवसर प्रदान किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी आवेदकगण/प्रार्थीगण की ओर से आज कोई उपस्थित नहीं है और न ही कोई स्थगन प्रस्तुत किया गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदकगण/प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना–पत्र के निस्तारण के सम्बन्ध में कोई रूचि नहीं रह गयी है । अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 34 माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 आवेदकगण/प्रार्थीगण की अनुपस्थिति एवं विपक्षी की उपस्थिति में खारिज किये जाने योग्य है। तदनुसार प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो ।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–9 मुरादाबाद ।
29–7–2022

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–9 मुरादाबाद ।

मूलवाद संख्या–110/2012

रविन्द्र कुमार सिंह आदि बनाम कु0 अंशु आदि

दिनांक–03–8–2022

पत्रावली पेश हुई । पुकार पर वादी मय अधिवक्ता एवं तृतीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता हाजिर। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना–पत्र 86 ग नियत है।

उक्त प्रार्थना–पत्र 86 ग मय शपथ–पत्र 87 ग वादी द्वारा आवेदकगण श्रीमती सुमन आदि प्रस्तुत करते हुये अभिकथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद के वादी संख्या–3 आलोक कुमार सिंह का दिनांक 18–3–2022 को देहान्त हो गया है। उन्होंने अपने देहान्त पर अपने उत्तराधिकारीगण एवं विधिक प्रतिनिधि गण के रूप में अपनी विधवा श्रीमती सुमन एवं तीन नावालिग पुत्रियां कु0 शैली,कं0 राधिका,कु0 गौरी एवं एक नावालिग पुत्र चि0 वंश प्रताप सिंह छोडें हैं ,जिनको भी प्रतिवादीगण राइट टू स्यु सरबाइब करता है, उन्हें वाद–पत्र में मृतक के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाना न्यायहित में परम आवश्यक है । इस सम्बन्ध में वाद–पत्र में संशोधन होना आवश्यक हहै अतः वाद–पत्र के शीर्षक में वादी संख्या–3 आलोक कुमार सिंह के नाम के आगे शब्द व अंक लिखे जाने की अनुमति प्रदान की जाये तथा वाद–पत्र के शीर्षक में वादी संख्या–3 आलोक कुमार सिंह के नाम तथा विवरण के पश्चात 3/1 श्रीमती सुमन आयु 35 वर्ष विधवा,3/2 कु0 शैली आयु लगभग 12 वर्ष पुत्री,3/3 कु0 राधिका आयु लगभग 9 वर्ष पुत्री, ¾ कु0 गौरी आयु लगभग 4 वर्ष पुत्री तथा 3/5 चि0 वंश प्रताप सिंह आयु लगभग 2 माह पुत्र, समस्त निवासीगण ग्राम सरथल तहसील बिलारी जिला मुरादाबाद नावालिग पुत्रियां एवं पुत्र अपनी सगी माता श्रीमती सुमन की संरक्षकता में, लिखे जाने की अनुमति प्रदान की जाये । प्रार्थनी श्रीमती सुमन की ओर से याचना की गयी है कि प्रार्थना–पत्र में दिये गये वांछित संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाये ।

उक्त प्रार्थना–पत्र पर आपत्ति हेतु प्रतिवादीपक्ष की तरफ से अभी कोई भी पत्रावली में हाजिर नहीं हो सका है।

प्रार्थना–पत्र 86 ग पर वादीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीपक्ष की तरफ से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना–पत्र 86 ग के तथ्य शपथ–पत्र से समर्थित हैं तथा सदभावी प्रतीत हो रहे हैं । साथ ही साथ उक्त प्रार्थना–पत्र अन्दर म्याद प्रस्तुत किया गया है, जहां तक उक्त प्रार्थना–पत्र पर आपत्ति का प्रश्न है तो पत्रावली में अभी तक प्रतिवादीपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो पायी है ।

मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थिति को समग्र रूप से दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना–पत्र 86 ग न्याय हित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र 86 ग स्वीकार किया जाता है संशोधन अबिलम्ब सुनिश्चित हो। पत्रावली बाद संशोधन अतिरिक्त जबाव व सुनवाई प्रार्थना–पत्र 81 ग/अग्रिम आदेश दिनांक 01–9–2022 को पेश हो ।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

कोर्ट संख्या–9 मुरादाबाद ।

03–8–2022